





न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

| | | |
|--|--|---|
| प्रार्थी | | |
| राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर | | |
| किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 | | |
| प्रार्थना-पत्र नम्बर 209/2021 | | GCMS No. 2021/270 |
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| 25.06.2021 | राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली दिनांक 29.06.2021 को वास्ते सुनवाई/उचित आदेशार्थ पेश हो।  | |
| 29.06.2021 | प्रकरण का अवलोकन किया गया। जमांबदी अनुसार समस्त खातेदारान की सहमति नहीं होने से प्रार्थना-पत्र काबिल खारिज है। अतः प्रार्थना-पत्र सहमति के अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।   | |
| | |  |